

.....सरकार

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पता)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र

प्रमाणपत्र संख्या.....

दिनांक:.....

.....वर्ष के लिए वैध

1. प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
पुत्र/पुत्री/पत्नी..... गाँव/ गली..... पोस्ट
ऑफिस ज़िलाराज्य/केंद्र शासित प्रदेश.
.....पिन कोड.....का स्थायी निवासी है, जिसकी सत्यापित फोटो
नीचे लगाई गई है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से है, क्योंकि उसके "परिवार" की सकल वार्षिक
आय वित्तीय वर्ष..... के लिए 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) रुपये से कम है।
उसके/उसकी परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति नहीं है***:

1. 5 एकड़ और उससे अधिक कृषि भूमि;
2. 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;
3. अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
4. अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी..... उस जाति से संबंधित हैं जिसे
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केंद्रीय सूची) के रूप में मान्यता
नहीं दी गई है।

अधिकारी के मुहर सहित हस्ताक्षर.....

नाम.....

पदनाम.....

आवेदक का
नवीनतम पासपोर्ट
आकार का
सत्यापित फोटोग्राफ

उल्लिखित परिवारों की आय और संपत्ति को राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक होगा जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो।

.....
नोट 1: आय में सभी स्रोत जैसे वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा, आदि।

नोट 2: इस उद्देश्य के लिए "परिवार" शब्द में वह व्यक्ति शामिल है, जो आरक्षण का लाभ चाहता है, इसमें उसके माता-पिता, 18 वर्ष से कम उम्र के भाई-बहन हैं, साथ ही उसका जीवनसाथी तथा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे भी शामिल हैं।

*****नोट 3:** ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति स्वामित्व जांच शुरू करते समय विभिन्न स्थानों या विभिन्न स्थानों/शहरों में एक "परिवार" द्वारा रखी गई संपत्ति को मिला दिया गया है।